न्यायालय श्री [illegible] भोपाल म. प्र.

पुनरीक्षण क्रमांक /2014

भगवत मेहरा पुत्र श्री रामदयाल मेहरा निग. - 1833 - 2012-14
आयु 43 वर्ष निवासीः– पुरानी बस्ती बरखेडा
पठानी भोपाल म. प्र. .................. पुनरीक्षणकर्त्ता

विरूद्ध

1. बाला प्रसाद चौकसे पुत्र स्व. श्री रामचरण चौकसे
आयु वयस्क निवासीः– म. न. 196 श्याम नगर बरखेडा
पठानी तहसील हुजूर जिला भोपाल म. प्र.

श्री श्याम राज
सोनी अभिभाषक
द्वारा कैम्प भोपाल
द्वारा प्रस्तुत
11/6/14

शोभा राम चौकसे पुत्र स्व. श्री रामचरण चौकसे
आयु वयस्क निवासीः– म.न. 195 श्याम नगर बरखेडा
पठानी तहसील हुजूर जिला भोपाल म. प्र.

3. श्रीमती ईमरती देवी चौकसे पुत्री स्व. श्री रामचरण चौकसे
पत्नी श्री कमल सिंह राय आयु वयस्क निवासीः–
बरखेडा पठानी तहसील हुजूर जिला भोपाल म. प्र.
दूसरा पता :– कलार महोल्ल कस्बा सीहोर जिला
सीहोर म. प्र.

4. दुर्गा प्रसाद चौकसे पुत्र स्व. श्री रामचरण चौकसे
आयु वयस्क निवासीः– म. न. 197 श्याम नगर
बरखेडा पठानी तहसील हुजूर जिला
भोपाल म. प्र ............. प्रतिपुनरीक्षणकर्त्तागण

पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय एम.पी. नगर वृत भोपाल के प्रकरण क्रमांक 03/अ--27/13–14 में पक्षकार बाला प्रसाद चौकसे व अन्य विरूद्ध सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 5–6–2014 से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र सत्य एवं ठोस आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमे पुनरीक्षणकर्त्ता को सफलता की पूर्ण आशय हैं :–

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1833–पीबीआर/2014 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13–6–2014 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 5.6.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है, और न ही उसके पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र ही निष्पादित हुआ है, केवल विकय अनुबंध पत्र जो कि पंजीकृत नहीं होकर नोटराइज्ड है, के आधार पर अपने को हितबद्ध पक्षकार व्यक्ति बताते हुए पक्षकार बनाये जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | |